REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 10 | JULY - 2018

भारत में स्वतंत्रता पूर्व देशी रियासतों में लोकतंत्र आंदोलन

डॉ. शीला कुमारी
पी.एच.डी.
इतिहास विभाग , मगध विश्वविद्यालय, बोधगया.

प्रस्तावना

1947 के अंग्रेजी संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में भारतीय रियासतों के विषय में ये प्रावधान थे : "सभी संधियां, समझौते इत्यादि, जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय रियासतों के प्रशासकों के बीच है ये सब समाप्त हो जाएंगे।" शाही उपाधियां तथा शैलियों में ये भारत का सम्राट शब्द हटा दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को यह अनुमति होगी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित हो जाएं।"

1. 3 सितम्बर 1946 को बनी राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का विभाग दिया गया था। उनके मुख्य सहायक वी. पी. मेनन थे। यद्यपि सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो चुकी थी और किसी भी प्रदेश में सम्मिलित होना अथवा न होना राजाओं की इच्छाओं पर निर्भर था, उन्हें यह स्पष्ट था कि उनके लिए स्वाधीन बने रहना बहुत कठिन था। अधिकतर रियासतों के सम्भरण, संचार, साधन, रेल, तार, डाक, बिजली, मार्ग सभी तो भारतीय प्रांतों में इस प्रकार गड़ड–भड़ड थे कि उनके लिए एक ही मार्ग था और वह कि शेष भारत में सम्मिलित हो जाएं।

2. सरदार पटेल तथा मेन ने कुछ दबाव भी डाला, कुछ उनकी देशभक्ति को ललकारा और उन्हें कहा कि आप रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार साधनों को भारतीय संघ को देकर अपने अपने अस्तित्व को बनाये रखें। लार्ड लूई माउंटबेटन ने भी अपनी ओर से पटेल की नीति का समर्थन किया तथा सकारात्मक भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 तक केवल 136 क्षेत्राधिकारी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था।

3. जम्मू तथा कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को और हैदराबाद के निजाम ने 26 अक्टूबर 1948 को विलय पर हस्ताक्षर कर दिये। निजाम के प्रदेश में इतनी गड़बड़ी थी

4. कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। जूडिथ एम. ब्राउन ने टिप्पणी की है कि "स्वतंत्रता से पूर्व स्थिति कुछ भी कयों न रही हो अथवा सरदार पटेल ने कुछ भी आश्वासन क्यों न दिए हों अब यह तथ्य स्पष्ट था कि स्वतंत्रता के कुछ ही काल उपरांत उस महाद्वीप में नई भारत सरकार एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभर चुकी थी।"

5. इन रियासतों का भारतीय राजनैतिक तथा प्रशासनीक ढांचे में विलय हो जाना केवल समय की ही बात नहीं थी अति तर्कसंगत भी था। कुछ रियासतें तो इतनी छोटी थीं कि उनका अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बने रहना सम्भव ही नहीं था।

6. उनको संलग्न प्रांतों में मिला दिया गया जैसे उड़ीसा में 36 रियासतें उड़ीसा प्रांत में तथा छतीसगढ़ की कई छोटी–छोटी रियासतों को मध्य प्रांतों में मिला दिया गया। इसी प्रकार गुजरात प्रदेश की रियासतें बम्बई प्रांत में मिला दी गयीं। इसी प्रकार 61 अन्य रियासतों को मिलाकर केंद्र प्रशासित गुजरात प्रदेश बनाए गए। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, बिलासपुर तथा

7. कुछ अन्य प्रदेश सम्मिलित थे। भौगोलिक तथा प्रशासनिक कारणों से यह क्षेत्र बम्बई प्रांत में मिला दिए गए। यह समग्रता का दूसरा चरण था। इस समग्रता का तीसरा चरण था कुछ रियासतों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र अथवा रियासतों का संघ बनाना।

8. इस श्रेणी में काठियावाड़ प्रदेश की संयुक्त रियासतें मत्स्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान तथा कोचीन और ट्रावनकोर की संयुक्त रियासतें।

9. यह स्मरण रहे कि इन रिरयासतों कके भारत में विलय के लिए केवल भारत सरकार ही उत्तरदायी नहीं थी। प्रायः स्थानीय जनता तथा राजनीतिक दल भी उत्तरदायी थे। जनता देख रही थी कि भारतीय प्रांतीय क्षेत्रों में नया संविधान जिसकी गठन प्रक्रिया नवम्बर 1946 से आरंभ हो चुकी थी, जिसमें लोगों के मूल अधिकारों का निववरण था, एक अच्छे श्रृंखालाबद्ध न्यायालयों का प्रावधान था, तथा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन चलाने की व्यवस्था थी। उसकी तुलना में रियासतों में ऐसा कुछ नहीं था। यह ठीक है कि कुछ राजा बहुत प्रबुद्ध थे परंतु वहां की जनता को एक अच्छा प्रशासन देना राजा की इच्छा पर ही निर्भर था। अतएव कई बार स्थानीय दबाव भी एक प्रमुख कारण था।

10. भारत का एकीकरण उस समय तक असम्पूर्ण था, जब तक कि फ्रांस तथा पुर्तगाल द्वारा भारत के फ्रांसीसी क्षेत्रों को पेरिस स्थित विधामंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त था और फ्रांस के मानव अधिकार भी प्राप्त थे परंतु फिर भी वहां की सरकार ने स्वयं ही नवम्बर 1954 में अपने तीनों भारतीय क्षेत्रों, पांडीचेरी, चन्द्रनगर तथा माहे स्वयं ही भारत को सौंप दिये। परंतु पुर्तगाल की सरकार ने अलग रूख अपनाया। उनका कहना था कि चूँकि गोवा पुर्तगाल के महानगरीय क्षेत्र का भाग है, इसलिए अंग्रेजों और फ्रांसिसियों द्वारा भारत में अपने क्षेत्र छोड़ने से उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे अन्य भारतीय क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। यह सभी क्षेत्र समुद्री तट पर थे अतएव स्थानीय प्रभाव भी नहीं बनाया जा सकता था।

11. भारत का कथन था कि क्षेत्र साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं और उनका भारत में विलय परम आवश्यक है। कुछ निहत्थे भारतीयों ने गोवा की सीमाओं पर सत्याग्रह करने का प्रयत्न भी किया परंतु पुर्तगाली सैनिकों ने उन्हें मार गिराया।

12. भारतीय सरकार ने राजनयिक प्रयास भी किये और फिर अकस्मात् एक दिन गोवा पर सैनिक कार्यवाही कर दी और 19 सितम्बर 1961 को दमन और द्वीव सहित तीनों क्षेत्रों को भारत में मिला लिया। किसी विदेशी शक्ति ने अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया।

13. स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर भारत में प्रायः 140 ऐसे राज्य थे जहां जनतंत्रीय शासन व्यवस्था न थी बल्कि वहां के नवाब अथवा राजा वहां का शासन करते थे। वे अंगेजी शासन की प्रभुसत्ता के अधीन थे, यद्यपि आन्तरिक शासन में वे स्वतंत्र थे। अंतरिम सरकार का गठन होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को छोड़ने के निश्चय को जानकर इन राज्यों को अपने विषय में चिंता हुई।

14. उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस संबंध में वार्ता की, परंतु वे ऐ निश्चित आश्वासन पाने में असफल रहे। जब ब्रिटिश संसद ने 1947 ई० का भारतीय स्वतंत्रता कानून बनाया तब उसमें इन राज्यों के विषय में उल्लेख किया गया कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता भारतीय राज्यों पर समाप्त हो जायेगी और उनसे की गई संधियां और समझौते उसी दिन समाप्त हो जायेंगे जिस दिन भारत व पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन ने इन राज्यों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया था।

संदर्भ ग्रंथसूची

ग्रोवर, बी.एल. : आधुनिक भारत का इतिहास, एस चंद ऐण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, रामनगर, नई दिल्ली।

चंद्र, बिपिन : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंन्दी निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

सुन्दररैय्या, पी. : तेलंगाना पिपुल्स स्ट्रगल ऐण्ड ईट्स लेशंस, कलकत्ता, 1972

रामानंद तीर्थ : मेमोरीज ऑफ हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल, बॉम्बे, 1967

स्पियर, पर्सीवाल : दि ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, लंदन, 1965

हिंडा, आर.एल. : हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिन्सपली स्टेट्स, नई दिल्ली, 1968

डॉ. शीला कुमारी
पी.एच.डी. , इतिहास विभाग , मगध विश्वविद्यालय, बोधगया.